

आदेश न इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 484/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय तृतीय तल, जे.एस.ई.एल. बिल्डिंग, मालवीय नगर,
जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

- एवेन्यू सर्विसेज
पता :- बी-47, शिव हरी अपार्टमेन्ट, श्री सन सिंह भंडारी, राम नगर, जयपुर।
- अरविन्द शेखावत
पता :- सी-82, बूडलोद हाउस कॉलोनी, हवा सड़क, श्याम नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act,2002.



श्री उमेश कुमार जागिड़ अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.09.2025

- राहस्य में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.06.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी एवेन्यू सर्विसेज के स्वामित्व की चल सम्पत्ति ORGPC-18 इंजन नम्बर 1VRS160Z5X1000877 बॉडी टाईप USED CONSTRUCTION EQUIPMENT मॉडल HDD MACHINE को हाईपोथिकेट रख कर राशि 44,96,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.07.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास हाईपोथिकेट सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 44,96,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 29,04,377/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.07.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में हाईपोथिकेट रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा-14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी एवेन्यू सर्विसेज के स्वामित्व की हाईपोथिकेटेड चल सम्पत्ति ORGPRC-18 इंजन नम्बर IVRS160Z5X1000877 बॉडी टाईप USED CONSTRUCTION EQUIPMENT मॉडल HDD MACHINE का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
कलक्टर) जयपुर

354-43
24-9-25